कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) उदयपुर

क्रमांकः :– जिशिअ / मुख्या / माध्य / उदय / फा–महा.गा.अंग्रेजी मा. / 2023 / 820 दिनांक : 05.10.2023

संबंधित संस्थाप्रधान
राउमावि / राबाउमावि ——————————————
(महात्मा गांधी रा.विद्यालय (अंगेजी माध्यम)

विषय : सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की संविदा पर नियुक्ति एवं पदस्थापन पश्चात कार्यग्रहण कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश शिविरा–माध्य / संस्था / म.गा.अनु. / प्रभाग ब / अंग्रेजी माध्यम / संविदा भर्ती / 66174 / 2022 दिनांक 23.07.2023 एवं 05.10.2023 में गैर अनुसूचित क्षेत्र में चयनित अभ्यर्थी सहायक अध्यापक लेवल – प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय (अंग्रेजी / विज्ञान –गणित) के काउसलिंग पश्चात कार्यालय के जारी नियुक्ति आदेश के कम में संबंधित अभ्यर्थी के आपके विद्यालय में कार्यग्रहण पर उपस्थित होने पर कार्यग्रहण से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करावें:–

1. संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नही पाई जाए तो उनके विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। किसी भी अभ्यर्थी को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नही पाये जाने अथवा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्थाप्रधान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
2. संबंधित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ7(1) डीओपी / ए–।। / 95 दिनांक 08.04.2003 तथा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों की फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी शपथ पत्र 50 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीचन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का शपथ पत्र 50 / – रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक / क– 2 / 06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान / मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.7(13) कार्मिक / क–2 / 23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुणता बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर व्यक्तिगत पजिका में संकलित किया जावे।
6. आवेदक द्वारा दहेज नही लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
7. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50 / – रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता एवं प्रमाण पत्र वैध व मान्य नही पाये गये तो उन्हे प्रदत्त यदि नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

Signature valid
Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:12:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4849587

8. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व निम्नांकित प्रमाण पत्र व शपथ पत्र भी चयनित अभ्यर्थियों से आवश्यक रूप से प्राप्त किए जावे :–

1. शपथ पत्र निर्धारित संलग्न प्रपत्र 01, 02 में जो भी लागू हो प्राप्त करना है।

2. शपथ पत्र उक्त संविदा भर्ती 2023 अन्तर्गत मेरे द्वारा (विधवा / विवाह विच्छन्न – परित्यक्ता श्रेणी)..... से ऑनलाईन आवेदन कमांक ..... भरा है मेरे द्वारा आज दिनांक ..... तक पुनविर्वाह नही किया गया है।

3. शपथ पत्र – उक्त संविदा भर्ती 2023 अन्तर्गत मेरे द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु ऑनलॉइन आवेदन कमांक ..... भरा गया तथा मेरा इस श्रेणी हेतु चयन हुआ है। मेरे द्वारा पूर्व में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से राजकीय नियोजन प्राप्त नही किया गया है।

9. नियुक्ति पर कार्यग्रहण उपरान्त प्रत्येक संविदा कार्मिक के लिए पृथक – पृथक व्यक्तिगत पंजिका संधारित की जावे, जिसमें संविदा कर्मी के संबंध में जारी किए गए समस्त आदेश/निर्देश सुरक्षित रखे जावे।

10. संबंधित अभ्यर्थी द्वारा काउसलिंग हेत प्रस्तुत वरियता संबंधी शपथ पत्र/ प्रमाण पत्र (विधवा/ परित्यकता/ दिव्यांग/ अविवाहित/ पति पत्नि राज्य सेवा में होने संबंधी प्रमाण पत्र) प्राप्त किया जावे।

11. कार्यालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश एंव निर्देशानुसार बीकानेर के पत्र दिनांक 23.07.2023 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

12. संबंधित अभ्यर्थी से कार्यालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पर पावती (हस्ताक्षर) प्राप्त कर विद्यालय रेकार्ड में रखना सुनिश्चित करावे।

13. आपके ब्लॉक सीबीईओं कार्यालय से संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्रावली प्राप्त करना सुनिश्चित करावे।

14. काउसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सूची पृथक रूप से संलग्न की गई है। जिन संस्थाओं में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है उनके दस्तावेज का परीक्षण स्थानीय कार्यालय स्तर पर नही किये जाने के कारण अति गहनता से किया जावे। इस संबंध में निदेशालय के पत्र दिनांक 23.07.2023 की पालना की जावे।

15. जिन अभ्यर्थियों की डिग्री राजस्थान राज्य से बाहर की है उन्हें कार्यग्रहण नही करवाया जावे। इस हेतु सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के लिये कक्षा 12 एवं बीएसटीसी एवं सहायक अध्यापक लेवल –द्वितीय के लिये स्नातक एवं बीएड डिग्री को आधार मान कर उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

16. कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण हेतु अन्तिम दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर कार्यग्रहण नही करने की सूचना मय संबंधित अभ्यर्थी के मूल आवेदन पत्रावली पुनः इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है:

1. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग,उदयपुर।
3. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ,..... जिला उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि आपके ब्लॉक में लगाये गये संविदा अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित संस्थाप्रधान को उक्त निर्देशों की पालना अक्षरशः करने हेतु पाबंद करावे साथ ही स्थानीय कार्यालय से आपके ब्लॉक में लगाये गये अभ्यर्थियों के मूल ओदन पत्रावली दिनांक 31.07.2023 को प्राप्त कर संबंधित विद्यालयों में भिजवाते हुए पावती प्राप्त करना सुनिश्चित करे।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:12:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4849587

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर

क्रमांकः जिशिअ/उदय/मामु/संस्था–1/फा–महा.गा.स.भ/2023/821-822 दिनांकः 05.10.2023

:: नियुक्ति आदेश ::

"सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय संविदा भर्ती, 2023" के अन्तर्गत निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/म.गां.अनु./प्रभाग–ब/अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/66174/2022/ **दिनांकः 28.06.2023/18.07.2023** एवं **05.10.2023** के क्रम में संलग्न सूची **(परिशिष्ट–क)** अनुसार अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम पद के लिए किए गए आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इनको राजस्थान सिविल पदों पर रखा जाना, नियम, 2022 के अधीन उक्त पद के लिए चयनित किया गया है।

अतः वह इसके द्वारा सहायक लेवल प्रथम रूप में संविदा पर 01 (एक) वर्ष की कालावधि के लिए अर्थात् 04.10.2024 तक (तारीख), निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर संलग्न सूची के कॉलम संख्या–17 में उल्लिखित महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्त किया जाता है :–

1- रूपये 16,900/–(अंकों में) सोलह हजार नौ सौ मात्र (शब्दों में) प्रतिमाह का संविदा पारिश्रमिक। उपरोक्त के अतिरिक्त, वह निम्नलिखित के लिए भी हकदार होगा/होगी :–

(क) मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो रूपये 1500/– प्रति वर्ष से अधिक न हो।

(ख) समेकित मूल वेतन के अधिकतम 10% के अध्यधीन रहते हुए, नयी अभिदाय पेंशन स्कीम में स्वयं के द्वारा निक्षेपित 50% के अभिदान का पुनर्भरण।

(ग) दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो 500/–रूपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।

2- निबंधन और शर्तें तथा अन्य मामले जैसे छुट्टी आदि राजस्थान सिविल पद पर संविदा पर रखे जाना, नियम, 2022 के उपबंधों के अनुसार शासित होंगे।

3- ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए, यात्रा और दैनिक भत्ता उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अधीन संविदात्मक वेतन पर आधारित कर्मचारियों के प्रवर्ग पर लागू होता है।

4- पद ग्रहण से पूर्व उसके द्वारा दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो 6 माह के भीतर–भीतर जारी किए गये हो।

5- नियुक्ति पद ग्रहण से पूर्व चिकित्सा बोर्ड/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किये गये चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन रहते हुए की जायेगी।

6- कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ शैक्षिक अर्हताएं, जाति या, यथास्थिति, पूर्व अनुभव से संबंधित अधिप्रमाणित प्रतियां, प्रमाण पत्र सहित मूल प्रस्तुत किये जायेंगे।

7- संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि के दौरान वह कोई अन्य समनुदेशन नहीं लेगा/लेगी।

8- संविदात्मक नियुक्ति 05.10.2024 को समाप्त की जाती है। नियुक्ति की कालावधि के दौरान, वह तीन माह का नोटिस देकर पद त्याग कर सकेगा/सकेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी भी उसकी नियुक्ति, तीन माह का नोटिस या उसका वेतन देकर समाप्त करने में सक्षम है।

Signature valid

Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:12:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4849587

9- यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें प्रतिगाहय है तो वह अधोहस्ताक्षरी को 16.10.2023 से पूर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर सकेगा/सकेगी। उक्त दिनांक तक ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

इस कालावधि के अवसान के पश्चात् नियुक्ति आदेश रद्द हो जायेगा।

संलग्नः—नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची (परिशिष्ट—क)।

(आशा माण्डावत)
जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा उदयपुर

क्रमांकः जिशिअ/उदय/मामु/संस्था—1/फा—महा.गा.स.भ/2023/ 821-4 22 दिनांकः 05.10.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव—प्रथम, शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,.....।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा,.....।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, ...।
10. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ...।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, ...।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा,.....।
13. संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान।
14. संबंधित अभ्यर्थी को पालनार्थ।
15. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:12:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4849587

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा उदयपुर

क्र.स. : जिशिअ (मु)/मा.शि./उदय/संस्था–1/फा–महा.गा.अ.मा. संविदा/2023/821

दिनांक: 05.10.2023

राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम 2022 अन्तर्गत "सहायक अध्यापक, लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023" के तहत सहायक अध्यापक लेवल प्रथम पद पर नियुक्त संविदा कार्मिकों की सूची

S.No.	Merit No.	Application_ No	TSP / NON TSP	Candidate_ Name (श्री/श्रीमती/कुमारी)	पुत्र/पत्नी/ पुत्री श्री	निवासी	ग्राम	तहसील	जिला	राज्य	DOB	Gender	Own_Cat.	Sel_Cat.	Spl_Cat	आवंटित विद्यालय का नाम
1	612	202327068162	NON TSP	MANASVI JOSHI	OM JOSHI	NEAR RAGHUNATHA TEMPLE	BEDLA	Badgaon	UDAIPUR	Rajasthan	10-11-2001	Female	Female	GEN	GENM	MGGS SUDAE TALAI, VALLABHNAGAR (08260426405)
2	623	202327104145	NON TSP	CHESTA SHARMA	JAGDISH CHANDRA SHARMA	REDIYA	REDIA DABOK	Mavli	UDAIPUR	Rajasthan	24-06-2000	Female	Female	GEN	GENM	MGGS GUDLI, MAVLI (08260308502)
3	2475	202327007671	NON TSP	POORVA VYAS	LOKESH VYAS	452 A BHUPALPURA MOX MARG	udaipur	-	UDAIPUR	Rajasthan	02-08-1992	Female	Female	GEN	GENF	MGGS BADI, BADGAON (08260206201)

(आशा माण्डावत)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:12:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4849588

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा उदयपुर

क्र.स. : जिशिअ (मु)/मा.शि./उदय/संस्था–1/फा–महा.गा.अ.मा. संविदा/2023/822

दिनांक: 05.10.2023

राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम 2022 अन्तर्गत ''सहायक अध्यापक, लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023'' के तहत सहायक अध्यापक लेवल प्रथम पद पर नियुक्त संविदा कार्मिकों की सूची

S.No.	Merit No.	Application_ No	TSP / NON TSP	Candidate_ Name (श्री/श्रीमती/कुमारी)	पुत्र/पत्नी/ पुत्री श्री	निवासी	ग्राम	तहसील	जिला	राज्य	DOB	Gender	Own_Cat.	Sel_Cat.	Spl_Cat	आवंटित विद्यालय का नाम
1	286	202327111238	TSP	HARSHIT MEENA	BADRI LAL MEENA	MAHAVEER COLONY	kherwara	Kherwada	UDAIPUR	Rajasthan	13-03-1995	Male	Male	ST	STM	MGGS BHATDIYA, NAYAGAON (08260803801)
2	290	202327097389	TSP	AKSHAY MEENA	BADRILAL MEENA	MAHAVEER COLONY	kherwara	Kherwada	UDAIPUR	Rajasthan	27-03-1991	Male	Male	ST	STM	MGGS BALICHA, NAYAGAON (08260810411)

(आशा माण्डावत)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:12:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4849588

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर

क्रमांकः जिशिअ/उदय/मामु/संस्था–1/फा–महा.गा.स.भ/2023/ 823 दिनांकः 05.10.2023

:: नियुक्ति आदेश ::

"सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय संविदा भर्ती, 2023" के अन्तर्गत निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिबिरा/माध्य/म.गां.अनु./प्रभाग–ब/अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/66174/2022/ **दिनांकः 28.06.2023/18.07.2023** एवं **05.10.2023** के क्रम में संलग्न सूची **(परिशिष्ट–क)** अनुसार अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (विज्ञान/गणित) पद के लिए किए गए आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इनको राजस्थान सिविल पदों पर रखा जाना, नियम, 2022 के अधीन उक्त पद के लिए चयनित किया गया है।

अतः वह इसके द्वारा सहायक लेवल–द्वितीय (विज्ञान/गणित) रूप में संविदा पर 01 (एक) वर्ष की कालावधि के लिए अर्थात् 04.10.2024 तक (तारीख), निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर संलग्न सूची के कॉलम संख्या–17 में उल्लिखित महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्त किया जाता है :–

1- रूपये 16,900/–(अंकों में) सोलह हजार नौ सौ मात्र (शब्दों में) प्रतिमाह का संविदा पारिश्रमिक। उपरोक्त के अतिरिक्त, वह निम्नलिखित के लिए भी हकदार होगा/होगी :–

(क) मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो रूपये 1500/– प्रति वर्ष से अधिक न हो।

(ख) समेकित मूल वेतन के अधिकतम 10% के अध्यधीन रहते हुए, नयी अभिदाय पेंशन स्कीम में स्वयं के द्वारा निक्षेपित 50% के अभिदान का पुनर्भरण।

(ग) दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो 500/–रूपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।

2- निबंधन और शर्तें तथा अन्य मामले जैसे छुट्टी आदि राजस्थान सिविल पद पर संविदा पर रखे जाना, नियम, 2022 के उपबंधों के अनुसार शासित होंगे।

3- ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए, यात्रा और दैनिक भत्ता उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अधीन संविदात्मक वेतन पर आधारित कर्मचारियों के प्रवर्ग पर लागू होता है।

4- पद ग्रहण से पूर्व उसके द्वारा दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो 6 माह के भीतर–भीतर जारी किए गये हो।

5- नियुक्ति पद ग्रहण से पूर्व चिकित्सा बोर्ड/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किये गये चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन रहते हुए की जायेगी।

6- कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ शैक्षिक अर्हताएं, जाति या, यथास्थिति, पूर्व अनुभव से संबंधित अधिप्रमाणित प्रतियां, प्रमाण पत्र सहित मूल प्रस्तुत किये जायेंगे।

7- संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि के दौरान वह कोई अन्य समनुदेशन नहीं लेगा/लेगी।

8- संविदात्मक नियुक्ति 05.10.2024 को समाप्त की जाती है। नियुक्ति की कालावधि के दौरान, वह तीन माह का नोटिस देकर पद त्याग कर सकेगा/सकेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी भी उसकी नियुक्ति, तीन माह का नोटिस या उसका वेतन देकर समाप्त करने में सक्षम है।

Signature valid

Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:12:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4849587

9- यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें प्रतिगाहय है तो वह अधोहस्ताक्षरी को 16.10.2023 से पूर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर सकेगा/सकेगी। उक्त दिनांक तक ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

इस कालावधि के अवसान के पश्चात् नियुक्ति आदेश रद्द हो जायेगा।

संलग्नः–नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची (परिशिष्ट–क)।

(आशा माण्डावत)
जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा उदयपुर

क्रमांकः जिशिअ/उदय/मामु/संस्था–1/फा–महा.गा.स.भ/2023/ 823 दिनांकः 05.10.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,.....।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा,.....।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, ...।
10. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ...।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, ...।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा,.....।
13. संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान।
14. संबंधित अभ्यर्थी को पालनार्थ।
15. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:12:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4849587

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा उदयपुर

क्र.स. : जिशिअ (मु)/मा.शि./उदय/संस्था–1/फा–महा.गा.अ.मा. संविदा/2023/ 823

दिनांक: 05.10.2023

राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम 2022 अन्तर्गत ''सहायक अध्यापक, लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023'' के तहत सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय (विज्ञान/गणित) पद पर नियुक्त संविदा कार्मिकों की सूची

S.No.	Merit No.	Application_ No	TSP / NON TSP	Candidate_ Name (श्री/श्रीमती/कुमारी)	पुत्र/पत्नी/ पुत्री श्री	निवासी	ग्राम	तहसील	जिला	राज्य	DOB	Gender	Own_Cat.	Sel_Cat.	Spl_Cat	आवंटित विद्यालय का नाम
1	3	202326970148	TSP	RATHOD SONU NIRBHAYSINGH	NIRBHAY SINGH	VILLAGE-PADAWALI KHURD	PADAWALI KHURD	Gogunda	UDAIPUR	Rajasthan	30-06-1998	Female	Female	GEN	GENM	MGGS, GOGUNDA, GOGUNDA, 8260108723

(आशा माण्डावत)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:12:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4849588

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर

क्रमांकः जिशिअ/उदय/मामु/संस्था–1/फा–महा.गा.स.भ/2023/824 दिनांकः 05.10.2023

:: नियुक्ति आदेश ::

"सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय संविदा भर्ती, 2023" के अन्तर्गत निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/म.गां.अनु./प्रभाग–ब/अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/66174/2022/ **दिनांकः 28.06.2023/18.07.2023** एवं **05.10.2023** के क्रम में संलग्न सूची **(परिशिष्ट–क)** अनुसार अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी) पद के लिए किए गए आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इनको राजस्थान सिविल पदों पर रखा जाना, नियम, 2022 के अधीन उक्त पद के लिए चयनित किया गया है।

अतः वह इसके द्वारा सहायक लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी) रूप में संविदा पर 01 (एक) वर्ष की कालावधि के लिए अर्थात् 04.10.2024 तक (तारीख), निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर संलग्न सूची के कॉलम संख्या–17 में उल्लिखित महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्त किया जाता है :–

1- रूपये 16,900/–(अंकों में) सोलह हजार नौ सौ मात्र (शब्दों में) प्रतिमाह का संविदा पारिश्रमिक। उपरोक्त के अतिरिक्त, वह निम्नलिखित के लिए भी हकदार होगा/होगी :–

(क) मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो रूपये 1500/– प्रति वर्ष से अधिक न हो।

(ख) समेकित मूल वेतन के अधिकतम 10% के अध्यधीन रहते हुए, नयी अभिदाय पेंशन स्कीम में स्वयं के द्वारा निक्षेपित 50% के अभिदान का पुनर्भरण।

(ग) दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो 500/–रूपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।

2- निबंधन और शर्तें तथा अन्य मामले जैसे छुट्टी आदि राजस्थान सिविल पद पर संविदा पर रखे जाना, नियम, 2022 के उपबंधों के अनुसार शासित होंगे।

3- ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए, यात्रा और दैनिक भत्ता उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अधीन संविदात्मक वेतन पर आधारित कर्मचारियों के प्रवर्ग पर लागू होता है।

4- पद ग्रहण से पूर्व उसके द्वारा दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो 6 माह के भीतर–भीतर जारी किए गये हो।

5- नियुक्ति पद ग्रहण से पूर्व चिकित्सा बोर्ड/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किये गये चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन रहते हुए की जायेगी।

6- कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ शैक्षिक अर्हताएं, जाति या, यथास्थिति, पूर्व अनुभव से संबंधित अधिप्रमाणित प्रतियां, प्रमाण पत्र सहित मूल प्रस्तुत किये जायेंगे।

7- संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि के दौरान वह कोई अन्य समनुदेशन नहीं लेगा/लेगी।

8- संविदात्मक नियुक्ति 05.10.2024 को समाप्त की जाती है। नियुक्ति की कालावधि के दौरान, वह तीन माह का नोटिस देकर पद त्याग कर सकेगा/सकेगी।
नियुक्ति प्राधिकारी भी उसकी नियुक्ति, तीन माह का नोटिस या उसका वेतन देकर समाप्त करने में सक्षम है।

Signature valid
Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:12:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4849587

9- यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें प्रतिगाहय है तो वह अधोहस्ताक्षरी को 16.10.2023 से पूर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर सकेगा/सकेगी। उक्त दिनांक तक ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

इस कालावधि के अवसान के पश्चात् नियुक्ति आदेश रद्द हो जायेगा।

संलग्नः—नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची (परिशिष्ट—क)।

(आशा माण्डावत)
जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा उदयपुर

क्रमांकः जिशिअ/उदय/मामु/संस्था—1/फा—महा.गा.स.भ/2023/824 दिनांकः 05.10.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव—प्रथम, शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,.....।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा,.....।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, ...।
10. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ...।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, ...।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा,.....।
13. संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान।
14. संबंधित अभ्यर्थी को पालनार्थ।
15. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:12:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4849587

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा उदयपुर

क्र.स. : जिशिअ (मु)/मा.शि./उदय/संस्था–1/फा–महा.गा.अ.मा. संविदा/2023/ 824 दिनांक: 05.10.2023

राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम 2022 अन्तर्गत "सहायक अध्यापक, लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023" के तहत सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय (अंग्रेजी) पद पर नियुक्त संविदा कार्मिकों की सूची

S.No.	Merit No.	Application_ No	TSP / NON TSP	Candidate_ Name (श्री/श्रीमती/कुमारी)	पुत्र/पत्नी/ पुत्री श्री	निवासी	ग्राम	तहसील	जिला	राज्य	DOB	Gender	Own_Cat.	Sel_Cat.	Spl_Cat	आवंटित विद्यालय का नाम
1	10	202326999801	TSP	BHEEMRAJ KATARA	BHERU LAL KATARA	VILL. JAGNATHPURA POST. MADRI	JAGNATHPURA	Jhadol	UDAIPUR	Rajasthan	09-07-1994	Male	Male	ST	GENM	MGGS, NAYAWAS, KOTRA, 8260626313

(आशा माण्डावत)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:12:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4849588